



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032021-225859
CG-DL-E-12032021-225859

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942

No. 135]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

सा.का.नि. 176(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम 1994, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम 2021, है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन के तारीख के प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है।

(ख) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किंतु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप - (1) बोर्ड इन नियमों से संलग्न उपाबंध में पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान इसके क्रियाकलापों, नीतियों और कार्यक्रमों के सत्य और पूरे लेखे देते हुए केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नब्बे दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

उपाबंध
[वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप]
(नियम 3 को देखिए)

1. प्रस्तावना

- 1.1 वार्षिक पुनर्विलोकन
- 1.2 मुख्य बातों का संपादन करना
- 1.3 प्रकल्पना करना

2. वित्तीय बाजार का पुनर्विलोकन

(जिसमें विकसित और मित्र देशों के साथ तुलना में भारत में आर्थिक और विनिधान पर्यावरण का विश्लेषण और बाजार संकेतों, आदि, के माध्यम से पहचान किए गए संभाव्य जोखिम कारक, दबाव कारक शामिल हैं।)

3. प्राथमिक बाजार

3.1 साम्य बाजार

क. नीति विकास

ख. बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण किए गए रुझान (जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रहण किए गए लोक प्रचालन के लिए आवेदन, संकलित आधार पर विनियामक अनुमोदन के लिए लिया गया माध्यिक समय, विभिन्न प्रवर्ग, आदि, के अधीन निधि जुटाने के ब्यौरे शामिल हैं।)

3.2 ऋण बाजार और मिश्रित

क. नीति विकास

ख. बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण किए गए रुझान (जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रहण किए गए लोक प्रचालन के लिए आवेदन, संकलित आधार पर विनियामक अनुमोदन के लिए लिया गया माध्यिक समय, विभिन्न प्रवर्ग, आदि, के अधीन निधि जुटाने के ब्यौरे शामिल हैं।)

3.3 कारपोरेट शासन और कारपोरेट पुनः संरचना

(जिसमें एम और ए समझौते के ब्यौरे, पारदर्शिता और शासन सुधार वृद्धि के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा की गई विनियामक कार्यवाही; खुले प्रस्ताव; दस्तावेजों को देखने का प्रचालन; परिसमापित सूचिबद्ध कंपनियों के ब्यौरे, व्यतिक्रमी कंपनियों के ब्यौरे; कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ विनियामक सहयोग और बोर्ड द्वारा उठाए गए पारिणामिक कदम शामिल हैं।)

3.4 सहयुक्त मध्यवर्ती

व्यापारी बैंककार, पुरोधरण के लिए बैंककार, हामीदार डिबेंचर न्यासी, पुरोधरण के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता, आदि (जिसमें नया रजिस्ट्रीकरण; समग्र आधार पर रजिस्ट्रीकरण के अनुमोदन के लिए लिया गया मध्यम समय; अस्वीकृत आवेदनों की संख्या; प्रतिभूति बाजार से सहयुक्त मध्यवर्तियों के रजिस्ट्रीकरण का निलंबन जैसे ब्यौरे रद्दकरण और उनके क्रियाकलापों का विनियमन भी है।)

4. द्वितीयक बाजार

4.1 नकदी बाजार

क. साम्या बाजार

(i) नीति विकास

(ii) बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण किए गए रुझान (जिनमें खंड और प्रतिभागी-वार निष्पादन; ऐसे नए उत्पादों के ब्यौरे जिनमें विनियामक अनुमोदन के लिए तथा सेबी द्वारा अनुमोदित करने के लिए अनुरोध किया गया है; ऐसे अनुमोदन के लिए लिया गया मध्यम समय; ये उत्पाद बाजार विशिष्टियों के लिए तथा बाजारों के विकास, आदि, के लिए कैसे सुसंगत हैं, सम्मिलित हैं।)

ख. ऋण बाजार और मिश्रित**i) नीति विकास**

ii) बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण किए गए रुझान (जिनमें खंड और प्रतिभागी-वार निष्पादन; ऐसे नए उत्पादों के ब्यौरे जिनमें विनियामक अनुमोदन के लिए तथा सेबी द्वारा अनुमोदित करने के लिए अनुरोध किया गया है; ऐसे अनुमोदन के लिए लिया गया मध्यम समय; ये उत्पाद बाजार विशिष्टियों के लिए तथा बाजारों के विकास, आदि, के लिए कैसे सुसंगत हैं, सम्मिलित हैं।)

ग. जोखिम प्रबंधन उपाय (जिसमें बाजार संकेद्रण-उत्पाद और प्रतिभागी-वार; व्यापार से निलंबित शेयर, आदि, के ब्यौरे भी हैं।)

4.2 साम्या व्युत्पन्न बाजार**क. नीति विकास**

ख. बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण किए गए रुझान (जिनमें खंड और प्रतिभागी-वार निष्पादन; ऐसे नए उत्पादों के ब्यौरे जिनमें विनियामक अनुमोदन के लिए तथा सेबी द्वारा अनुमोदित करने के लिए अनुरोध किया गया है; ऐसे अनुमोदन के लिए लिया गया मध्यम समय, ये उत्पाद बाजार विशिष्टियों के लिए तथा बाजारों के विकास, आदि, के लिए कैसे सुसंगत हैं, सम्मिलित हैं।)

ग. जोखिम प्रबंधन उपाय (जिसमें बाजार संकेद्रण - उत्पाद और प्रतिभागी-वार, आदि, के ब्यौरे भी हैं।)

4.3 वस्तु व्युत्पन्न बाजार**क. नीति विकास****ख. वैश्विक वस्तु कीमत संचलन**

ग. भारतीय बाजारों में कीमत खोज और व्यापार की गई चयनित/मुख्य वस्तुओं की कीमत

घ. बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण किए गए रुझान (जिनमें खंड और प्रतिभागी- वार टर्नओवर; ऐसे नए उत्पादों के ब्यौरे जिनमें विनियामक अनुमोदन के लिए तथा सेबी द्वारा अनुमोदित करने के लिए अनुरोध किया गया है; ऐसे अनुमोदन के लिए लिया गया मध्यम समय; ये उत्पाद बाजार प्रतिभागियों और बाजारों के विकास; प्लेटफार्म के माध्यम से वास्तविक रूप से परिदत्त वस्तुएं; विनियम प्रयोजनों, आदि, के लिए भाड़ांगार क्षमता उपयोगिता के लिए, आदि, सम्मिलित हैं, कैसे सुसंगत हैं।)

ङ. जोखिम प्रबंधन उपाय (जिसके अंतर्गत बाजार संकेद्रण - उत्पाद और प्रतिभागी-वार; व्यापार करने से निलंबित/रोक लगाई गई संविदाएं, आदि, सम्मिलित हैं।)

4.4 मुद्रा व्युत्पन्न बाजार**क. नीति विकास****ख. वैश्विक मुद्रा संचलन और भारतीय राष्ट्रीय रुपये का निष्पादन**

ग. बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण किए गए रुझान (जिसके अंतर्गत खंडवार और प्रतिभागी-वार निष्पादन; ऐसे नए उत्पादों के ब्यौरे जो विनियामक अनुमोदन और सेबी द्वारा अनुमोदन की ईप्सा करते हैं; ऐसे अनुमोदन के लिए लिया गया मध्यम समय; ऐसे उत्पाद बाजार सहभागिता तथा बाजारों के विकास के लिए कैसे सुसंगत हैं; ओवर-द-काउंटर बाजार बनाम एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स, आदि, सम्मिलित हैं।)

घ. जोखिम प्रबंधन उपाय (जिसके अंतर्गत बाजार संकेद्रण- उत्पाद और प्रतिभागी-वार ब्यौरे, आदि, सम्मिलित हैं।)

4.5 बाजार दर व्युत्पन्न बाजार**क. नीति विकास**

- ख. बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण किए गए रूझान (जिसके अंतर्गत खंडवार और प्रतिभागी-वार निष्पादन; ऐसे नए उत्पादों के ब्यौरे जो विनियामक अनुमोदन और सेबी द्वारा अनुमोदन की ईप्सा करते हैं; ऐसे अनुमोदन के लिए लिया गया माध्यिक समय; ऐसे उत्पाद बाजार सहभागिता तथा बाजारों के विकास के लिए कैसे सुसंगत हैं, आदि, सम्मिलित हैं।)
- ग. जोखिम प्रबंधन उपाय (जिसके अंतर्गत बाजार संकेद्रण - उत्पाद और प्रतिभागी-वार ब्यौरे, आदि, सम्मिलित हैं।)

4.6 बाजार अवसंरचना संस्थाएं (एमआईआई)

स्टॉक एक्सचेंज; समाशोधन निगम; निक्षेपागार (जिसके अंतर्गत एमआईआई का कार्यकरण; वर्ष के दौरान बंद हो गए प्रचालन; इन संस्थाओं के स्वामित्व और शासन के संबंध में ब्यौरे; बाजार विकास की संक्षिप्त तुलना तथा एमआईआई द्वारा विनिधानकर्ता के संरक्षण के लिए किए गए उपाय तथा एमआईआई में कारबार का विनियमन सहित उनकी कारबार और स्थापन पद्धतियां, आदि, सम्मिलित हैं।)

4.7 सहयुक्त मध्यवर्ती

व्यापारी सदस्य/दलाल; समाशोधन सदस्य; विनिधान सलाहकार; अनुसंधान विश्लेषण; निक्षेपागार सहभागी; अनुमोदित मध्यवर्ती (स्टॉक-उधार देने वाली स्कीमें); अनुमोदित मध्यवर्ती जो वस्तु बाजार के साथ सहबद्ध हैं; केवाईसी रजिस्ट्रीकरण अभिकरण; अभिरक्षक; क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां; प्रॉक्सी सलाहकार (जिसके अंतर्गत नए रजिस्ट्रीकरण; रजिस्ट्रीकरण के निलंबन/रद्दकरण; उनके बाजार आचरण से संबंधित मुद्दे, आदि, सम्मिलित हैं।)

5. निधि प्रबंधन क्रियाकलाप

5.1 पारस्परिक निधियां

क. नीति विकास

- ख. बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण के लिए रूझान (जिसमें वर्ष के दौरान जारी की गई योजनाएं; प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियां (एयूएम); अंतःप्रवाह/बहिर्वाह निधि; लिखत/सेक्टर-वार परिनियोजन; योजना-वार रिटर्न (अर्थात् योजनाओं की संख्या जिनमें रिटर्न 0 से कम है, 0-5 प्रतिशत, 5-10 प्रतिशत के बीच है, आदि, शामिल हैं।)
- ग. जोखिम प्रबंधन उपाय (जिसमें विनिधान सकेन्द्रण; गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए); निधियों के अपयोजन का उल्लेख; अदावाकृत मोचन धनराशि का क्वांटम और अदावाकृत लाभांश, आदि, शामिल हैं।)

5.2 वैकल्पिक विनिधान निधियां (एआईएफ)

क. नीति विकास

- ख. बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण के लिए रूझान (जिसमें एआईएफ की प्रवर्ग सूची; जुटाई गई और विनिहित की गई निधियां; एयूएम; अंतःप्रवाह/बहिर्वाह निधि; लिखत और सेक्टर-वार अभिनियोजित करना, आदि, शामिल हैं।)
- ग. जोखिम प्रबंधन उपाय (जिसमें निधियों के प्रवर्ग स्रोत; विनिधान सकेन्द्रण; एनपीए; निधियों के अपयोजन का उल्लेख; अदावाकृत मोचन धनराशि का क्वांटम, आदि, शामिल हैं।)

5.3 पोर्टफोलियो प्रबंधक

क. नीति विकास

- ख. बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण के लिए रूझान (जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा की प्रवर्ग सूची; एयूएम; अंतःप्रवाह/बहिर्वाह, शामिल हैं।)

ग. जोखिम प्रबंधन उपाय (जिसमें विनिधानकर्ताओं की प्रवर्ग सूची; विनिधान सकेन्द्रण; एनपीए; निधियों के अपयोजन का उल्लेख; अदावाकृत ईकाइयों का क्वांटम, आदि, शामिल हैं।)

5.4 सामुहिक विनिधान योजना (सीआईएस)

क. नीति विकास

ख. बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण के लिए रूझान (जिसमें समझी गई सीआईएस/सीआईएस पर सेबी द्वारा पारित किए गए अंतरिम और अंतिम आदेश के ब्यौरे; अरजिस्ट्रीकृत सीआईएस के मामले में सेबी के माध्यम से विनिधानकर्ताओं को धन के प्रत्यास्थापन के ब्यौरे शामिल हैं।)

5.5 भूसंपदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना विनिधान न्यास (आईएनवीआईटी)

क. नीति विकास

ख. बाजार क्रियाकलाप और पर्यवेक्षण के लिए रूझान (जिसमें कारबार न्यास की प्रवर्ग सूची; निधि जुटाने; एनएवी, आदि, शामिल हैं।)

ग. जोखिम प्रबंधन उपाय (एनपीए और निधियों का अपयोजन का उल्लेख, आदि।)

5.6 मध्यवर्ती सहयुक्त

क. वितरक: नीति विकास

6. विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता और विदेशी जोखिम पूंजी विनिधानकर्ता

क. नीति विकास

ख. बाजार गतिविधि और प्रेक्षित रुख (एयूएम; उत्पादवार विनिधान; विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सीमा और उसका उपयोग, आदि।)

7. क्रेडिट रेटिंग अभिकरण (सीआरए)

क. नीति विकास

ख. बाजार गतिविधि और प्रेक्षित रुख (नई रेटिंग के विवरण सहित और सीआरए द्वारा पुनर्विलोकित रेटिंग्स; सीआरए विनियम के प्रवर्तन का विवरण)

ग. जोखिम प्रबंधन उपाय (रेटिंग में गिरावट के उदाहरण, आदि।)

8. विनिधानकर्ता के हितों की सुरक्षा

8.1 विनिधानकर्ता शिक्षा

क. विनिधानकर्ता जागरूकता कार्यक्रम; मीडिया अभियान सहित विचार गोष्ठी और वर्कशाप (राज्यवार विवरण) एमआईआई के माध्यम से और साथ में सेबी द्वारा आयोजित किए गए

ख. समर्पित विनिधानकर्ता वेबसाइट

ग. सेबी का दौरा

घ. जागरूकता कार्यक्रमों का समाघात निर्धारण

ड. वर्ष के दौरान विनिधानकर्ता शिक्षा के लिए नई पहल

च. वित्तीय शिक्षा क्रियाकलाप और सेबी प्रशिक्षित संसाधन व्यक्ति द्वारा संचालित वर्कशाप

छ. विनियम, निक्षेपागारों, आदि, के साथ संयुक्त कार्यक्रम।

8.2 विनिधानकर्ता केन्द्रित नीति के उपाय

क. प्राथमिक बाजार

ख. द्वितीयिक बाजार (साधारण शेयर, ऋण, वस्तु, ब्याज दर, करेंसी, आदि ।)

ग. बाजार अवसरचना संस्था

घ. मध्यवर्ती संस्थाएं

ड. विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता और विदेशी जोखिम पूंजी विनिधानकर्ता

च. विधि प्रबंध क्रियाकलाप: पारस्परिक निधि; संविभाग प्रबंधक; आरईआईटी और आईएनबीआईटी; सामूहिक विनिधान प्रणाली; वैकल्पिक विनिधान निधियां; विनिधान सलाहकार

छ. क्रेडिट रेटिंग अभिकरण/डिबेंचर न्यासी

8.3. विनिधानकर्ता की शिकायतों को दूर करना

क. विनिधानकर्ता की शिकायतों को प्राप्त करना और निवारण करना (उनके प्रकार, संख्या और भौगोलिक अवस्थिति में वृद्धि और खंडवार वर्गीकरण; प्रमुख प्रकृति या शिकायतों के प्रकार सहित)

ख. उपबंधित संकल्पों/समाधान विश्लेषण पर विनिधानकर्ता के फीडबैक का विश्लेषण

ग. सेबी टोलफ्री हेल्पलाइन पर कालों का उत्तर देने के लिए विनिधानकर्ता का फीडबैक

घ. प्रश्नों का उत्तर, आदि, देने के लिए विनिधानकर्ता को सहायता

ड. अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना – पोस्ट आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

च. स्टॉक एक्सचेंज के साथ शिकायत/अंतरपणन मामले

8.4 विनिधानकर्ता सुरक्षा निधि (आईपीएफ)

क. एमआईआई और सेबी के आईपीएफ/हितप्रद स्वामी सुरक्षा निधि में मुद्रा की आमद पर विस्तृत रिपोर्ट

ख. निधि के उपयोग पर विस्तृत रिपोर्ट

9. प्रौद्योगिकी

9.1 साइबर सुरक्षा

9.2 परिस्थितिकी तंत्र बाजार में प्रौद्योगिकी

9.3 सेबी में प्रौद्योगिकी

9.4 फिनटेक और रेगटेक पहल

9.5 अन्य विकास

10. विनियामक कार्रवाई, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन

10.1 बाजार की देखरेख का तरीका

क. निगरानी (आंतरिक व्यापार में अनियमितता होना/कपटपूर्ण व्यवहार को होने से रोकने की निगरानी क्रियाविधि और नए पहलू का विवरण, इत्यादि)

ख. निरीक्षण (वर्ष के दौरान निगरानी के जारी रहने का विवरण)

ग. अन्वेषण (वर्ष के दौरान वर्गवार किए गए अन्वेषण का विवरण)

घ. प्रवर्तन गतिविधियां (प्रवर्तन गतिविधियों का विवरण; विभिन्न कार्यवाहियों का आयु-वार विश्लेषण; प्रवर्ग-वार उल्लंघन जैसे आंतरिक व्यापार; अवैध व्यापार; दुर्विनियोग; उल्लंघन का प्रकटीकरण, आदि।)

ड. कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार (जिसमें विवरणों के प्रकार; सेबी को रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्याएं और इस प्रकार की प्रथाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं।)

10.2 विनियामक कार्रवाई

क. आदेश

- 1) कानूनी चेतावनी / जांच (मध्यवर्ती विनियमन के अधीन)
- 2) विवर्जन / असहमति (अधिनियम की धारा 11ख के अधीन)
- 3) समझी गई सार्वजनिक निर्गम के मामले में पारित मध्यवर्ती और अंतिम आदेशों की संख्या, आदि।

ख. न्यायनिर्णायक आदेश

- 1) प्रकटीकरण के उल्लंघन करने के लिए
- 2) किसी अन्य के लिए

ग. वसूली की कार्यवाही (वसूल की गई और वसूल न की गई रकम)

घ. अभियोजन कार्यवाही

ड. परिनिर्धारण और प्रशमन (परिनिर्धारित/ प्रशमित रकम; उल्लंघन के प्रकार जिसके लिए परिनिर्धारण और प्रशमन घटित हुआ है)

10.3 मुकदमेबाजी

क. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील

ख. सैट के आदेशों से संप्रेक्षित रुख

ग. उच्चतम न्यायालय में अपील

घ. उच्च न्यायालय और अन्य मंच में मुकदमेबाजी

ड. न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

10.4. विनियमों का संशोधन

10.5. नया विनियम (लक्ष्य और उद्देश्य)

10.6. पिछले वर्ष के दौरान पुरःस्थापित नए विनियमों और नियमों की प्रगति या समाधात निर्धारण

11. अंतर्राष्ट्रीय वचनबंध

11.1 भारतीय बाजारों के लिए निहितार्थ वाले अंतर्राष्ट्रीय वचनबंध

11.2 विभिन्न वचनबंधों के दौरान मुद्दों पर विशेष बल देना

12. प्रतिभूति बाजारों का राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएसएम)

12.1 शैक्षणिक कार्यक्रम

12.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.3 अनुसंधान और प्रकाशन

12.4. विनिधानकर्ता शिक्षा और वित्तीय साक्षरता

12.5 प्रतिभूति बाजारों में संबंधित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण

12.6 सतत् वृत्तिक शिक्षा कार्यक्रम का विकास और प्रशासन

12.7 अन्य पहलें

क. प्रमाणन परीक्षा का प्रत्यापन

ख. संयुक्त प्रमाणन

ग. निगमित शासन

12.8. निधि का स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र

13. संगठनात्मक मामले

13.1 सेबी बोर्ड

13.2 लेखा परीक्षा समिति

13.3. सेबी के कार्यालय

13.4 मानव संसाधन क्रियाकलाप (प्रशिक्षण, आदि)

13.5 अनुसंधान क्रियाकलाप (कार्यपत्र, आदि)

13.6 राजभाषा का संवर्धन

13.7 आंतरिक निरीक्षण विभाग

13.8 सतर्कता प्रकोष्ठ

13.9 आरटीआई क्रियाकलाप

13.10 संसद प्रश्न

13.11 फीस और अन्य प्रभार (वर्ष के दौरान बढ़ने/घटने के विनिर्दिष्ट मामले)

13.12 प्रत्यायोजित मामलों में हुए बदलाव, यदि कोई हो।

13.13 निधियों का स्रोत और व्यय का प्रमुख स्रोत

[फा. सं. 2/8/2019-आरई]

आनन्द मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2021

G.S.R. 176(E).—In exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 29 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and in supersession of the Securities and Exchange Board of India (Annual Report) Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Securities and Exchange Board of India (Annual Report) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (b) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Act.
- (2) All other words and expressions used in these rules but not defined, and defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Form of Annual Report - (1) The Board shall submit a report to the Central Government giving a true and full account of its activities, policies and programmes during the previous financial year in the Annexure appended to these rules.
- (2) The report shall be submitted within ninety days after the end of each financial year.

ANNEXURE
[Form of Annual Report]
(See rule 3)

1. Introduction

- 1.1 Year in review
- 1.2 Performance Highlights
- 1.3 Looking Forward

2. Review of Financial Market

(Including an analysis of economic and investment environment in India along with comparison with developed and peer countries and potential risk factors; stress factors indicated through market signals, etc.)

3. Primary Markets**3.1 Equity Markets**

- A. Policy Developments
- B. Market Activity and Trends Observed (including details of applications for public issuance received and approved during the financial year, fund-raising under different categories, median time taken for regulatory approval on aggregate basis)

3.2 Debt Markets and Hybrids

- A. Policy Developments
- B. Market Activity and Trends Observed (including details of applications for public issuance received during the financial year, median time taken for regulatory approvals on aggregate basis, fund raising under different categories, etc.)

3.3 Corporate Governance and Corporate Restructuring

(Including details of Merger & Acquisition deals, regulatory action taken by Securities and Exchange Board of India (SEBI) for enhancing transparency and improving governance, open offers, issuance of observations on offer documents, details of listed companies being wound up, details of defaulter companies, regulatory co-ordination with Ministry of Corporate Affairs and consequent steps taken by the Board)

3.4 Intermediaries Associated

Merchant Bankers, Bankers to an Issue, Underwriters, Debenture Trustees, Registrar to an Issue and Share Transfer Agents, etc. (including details such as new registrations, median time taken for approval of registrations on aggregate basis, number of applications rejected, suspension/cancellation of registration and regulation of activities of the intermediaries associated with the securities market.)

4. Secondary Markets**4.1 Cash Markets**

- A. Equity Markets
 - i) Policy Developments
 - ii) Market Activity and Trends Observed (including segment and participants-wise performance; details of new products which sought regulatory approval and approved by SEBI; median time taken for such approval; how these products are relevant for market participants and for development of markets, etc.)
- B. Debt Market and Hybrids
 - i) Policy Developments

- ii) Market Activity and Trends Observed (including segment and participants-wise performance; details of new products which sought regulatory approval and approved by SEBI; median time taken for such approval; how these products are relevant for market participants and for development of markets, etc.)
- C. Risk Management Measures (including details of market concentration – product and participants-wise; scrips suspended from trading, etc.)

4.2 Equity Derivatives Markets

- A. Policy Developments
- B. Market Activity and Trends Observed (including segment and participants-wise performance; details of new products which sought regulatory approval and approved by SEBI; median time taken for such approval; how these products are relevant for market participants and for development of markets, etc.)
- C. Risk Management Measures (including details of market concentration – product and participants-wise, etc.)

4.3 Commodity Derivatives Markets

- A. Policy Developments
- B. Global Commodity Price Movements
- C. Price Discovery in Indian Markets and Prices of Select / Major Commodities Traded
- D. Market Activity and Trends Observed (including segment and participants-wise turnover; details of new products which sought regulatory approval and approved by SEBI; median time taken for such approval; how these products are relevant for market participants and for development of markets; commodities physically delivered through the platform; warehouse capacity utilization for exchange purposes, etc.)
- E. Risk Management Measures (including details of market concentration – product and participants-wise; contracts suspended / banned from trading, etc.)

4.4 Currency Derivatives Markets

- A. Policy Developments
- B. Global Currency Movements and Performance of Indian National Rupee
- C. Market Activity and Trends Observed (including segment and participants-wise performance; details of new products which sought regulatory approval and approved by SEBI; median time taken for such approval; how these products are relevant for market participants and for development of markets; Over-The-Counter market versus exchange traded markets, etc.)
- D. Risk Management Measures (including details of market concentration – product and participants-wise, etc.)

4.5 Interest Rate Derivatives Markets

- A. Policy Developments
- B. Market Activity and Trends Observed (including segment and participants-wise performance; details of new products which sought regulatory approval and approved by SEBI; median time taken for such approval; how these products are relevant for market participants and for development of markets, etc.)
- C. Risk Management Measures (including details of market concentration – product and participants-wise, etc.)

4.6 Market Infrastructure Institutions (MIIs)

Stock Exchanges, Clearing Corporations, Depositories (including details of MIIs functioning; ceased operations during the year; regarding ownership and governance of these institutions; summary comparison of the market development and investor protection measures taken by MIIs; development and regulation of business in MIIs, including their trading and settlement practices, etc.)

4.7 Intermediaries Associated

Trading members / Brokers, Clearing Members, Investment Advisors, Research Analysts, Depository Participants, Approved Intermediaries (stock-lending schemes), Approved Intermediaries associated with Commodity market, KYC Registration Agencies, Custodians, Credit Rating Agencies, Proxy Advisors (including details such as new registrations, suspension / cancellation of registration, their market conduct-related issues, etc.)

5. Fund Management Activities**5.1 Mutual Funds**

- A. Policy Developments
- B. Market Activity and Trends Observed (including schemes launched during the year, Assets Under Management (AUM); fund inflow / outflow; instrument / sector-wise deployment; scheme-wise returns (i.e. number of schemes wherein return is less than zero, between 0-5%, 5-10%, etc.)
- C. Risk Management Measures (including concentration of investments; Non-Performing Assets (NPAs); instances of diversion of funds; quantum of unclaimed redemption amounts and unclaimed dividends, etc.)

5.2 Alternative Investment Funds (AIFs)

- A. Policy Developments
- B. Market Activity and Trends Observed (including categorized list of AIFs; funds raised and invested; AUM; fund inflow / outflow; instrument / sector-wise deployment, etc.)
- C. Risk Management Measures (including categorized sources of funds, concentration of investments, NPAs, instances of diversion of funds, quantum of unclaimed redemption amounts, etc.)

5.3 Portfolio Managers

- A. Policy Developments
- B. Market Activity and Trends Observed (including categorized list of Portfolio Management Service; AUM; fund inflow / outflow, etc.)
- C. Risk Management Measures (including categorized list of investors; concentration of investments; NPAs; instances of diversion of funds; quantum of unclaimed units, etc.)

5.4 Collective Investment Schemes (CIS)

- A. Policy Developments
- B. Market Activity and Trends Observed (including details of interim and final orders passed by SEBI on the deemed CIS/CIS; the details of restitution of money to the investors through SEBI in case of unregistered CIS)

5.5 Real Estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (InvITs)

- A. Policy Developments
- B. Market Activity and Trends Observed (including categorized list of business trusts; funds raised; Net Asset Value, etc.)
- C. Risk Management Measures (NPAs and instances of diversion of funds, etc.)

5.6 Intermediaries Associated

- A. Distributors: Policy Developments

6. Foreign Portfolio Investors and Foreign Venture Capital Investors

- A. Policy Developments
- B. Market Activity and Trends Observed (AUM; product-wise investments; Foreign Portfolio Investment limits and their utilization, etc.)

7. Credit Rating Agencies (CRAs)

- A. Policy Developments
- B. Market Activity and Trends Observed (including details of fresh ratings and ratings reviewed by CRAs; details of the enforcement of the CRA Regulations)
- C. Risk Management Measures (instances of rating downgrades, etc.)

8. Protection of Investor Interests**8.1 Investor Education**

- A. Investor-awareness programmes; seminars and workshops including media campaigns (State-wise details) conducted through MIIs as well as by SEBI
- B. Dedicated Investor website
- C. Visits to SEBI
- D. Impact assessment of the awareness programmes
- E. New initiatives for investor education during the year
- F. Financial education activities and workshops conducted by SEBI-trained resource person
- G. Joint programmes with exchanges, depositories, etc.

8.2 Investor Centric Policy Measures

- A. Primary Market
- B. Secondary Market (equity, debt, commodity, interest rate, currency, etc.)
- C. Market Infrastructure Institutions
- D. Intermediaries
- E. Foreign Portfolio Investors and Foreign Venture Capital Investors
- F. Fund Management Activities: Mutual funds; Portfolio Managers; REITs and InvITs; Collective Investment Schemes; Alternative Investment Funds; Investment Advisors
- G. Credit Rating Agencies/Debtenture Trustees

8.3 Redressal of Investors' Grievances

- A. Investor grievances received and redressed (including their type, increase in number and geographic location and segment-wise categorization, major nature or types of complaints)
- B. Analysis of investors' feedback on the resolutions provided / satisfaction analysis
- C. Investor feedback for calls answered on SEBI toll-free helpline
- D. Investor assistance - replies to queries, etc.
- E. Issue of no objection certificates – post Initial Public Offerings
- F. Complaints/arbitrage cases with Stock Exchanges

8.4 Investor Protection Fund (IPF)

- A. Detailed report on inflow of money into IPF / beneficial owner protection funds of MIIs and SEBI
- B. Detailed report on utilization of the Fund

9. Technology

- 9.1 Cyber Security
- 9.2 Technology in Markets Ecosystem
- 9.3 Technology in SEBI
- 9.4 FinTech and RegTech initiatives
- 9.5 Other Developments

10. Regulatory Action, Supervision and Enforcement**10.1 Manner of overseeing markets**

- A. Surveillance (details of surveillance mechanism and new initiatives to prevent the occurrence of irregularities/fraudulent practice; insider trading, etc.)
- B. Inspection (details of the inspections carried out during the year)
- C. Investigation (details of the investigations carried out during the year category-wise)
- D. Enforcement Activities (details of enforcement activities; age-wise analysis of the various proceedings; category-wise violations (e.g. insider trading; illegal trading; misappropriation; disclosure violations, etc.)
- E. Fraudulent and Unfair Trade Practices (including details such as type, number of cases reported to SEBI and steps taken to prevent such practices)

10.2 Regulatory Actions

- A. Orders
 - 1) Statutory warning/Enquiry (under Intermediaries Regulations)
 - 2) Debarment/Disgorgement (under section 11B of the Act)
 - 3) Number of interim and final orders passed in cases of deemed public issuances, etc.
- B. Adjudicating Orders
 - 1) For disclosure violation
 - 2) For any other
- C. Recovery Proceedings (amount recovered and not recovered)
- D. Prosecution Proceedings
- E. Settlement and Compounding (amount settled / compounded; types of violations for which settlement and compounding happened)

10.3 Litigations

- A. Appeals in Securities Appellate Tribunal (SAT)
- B. Trends observed from orders of SAT
- C. Appeals in Supreme Court
- D. Litigations in High Courts and other forums
- E. Important Court Pronouncements

10.4 Amendments to Regulations**10.5 New Regulations (aims and objectives)****10.6 Progress or impact assessment of the new regulations/rules introduced during last year****11. International Engagements**

- 11.1 International engagements having implications for Indian Markets
- 11.2 Issues highlighted during various engagements

12. National Institute of Securities Markets (NISM)

- 12.1 Academic Programmes
- 12.2 Training Programmes
- 12.3 Research and Publications
- 12.4 Investor Education and Financial Literacy
- 12.5 Certification of associated persons in the securities market

12.6 Development and administration of the Continuing Professional Education Programme

12.7 Other Initiatives:

A. Accreditation of certification exams

B. Joint certifications

C. Corporate Governance

12.8 Sources of Funds and Major Areas of Expenditure

13. Organizational Matters

13.1 SEBI Board

13.2 Audit Committee

13.3 SEBI Offices

13.4 Human Resource Activities (trainings, etc.)

13.5 Research Activities (working papers, etc.)

13.6 Promotion of Official Language

13.7 Internal Inspection Department

13.8 Vigilance Cell

13.9. RTI Activities

13.10 Parliament Questions

13.11 Fees and other charges (specific cases of increase / decrease during the year)

13.12 Changes made to the Delegation Order, if any.

13.13 Sources of Funds and Major Areas of Expenditure

[F. No. 2/8/2019-RE]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.